कार्यालय नगर पालिका परिषद, खुरजा (बुलन्दशहर)।

पत्रॉक:– /सा0प्र0/2018–19 दिनॉक 28/9/ ,2018

– अति अल्पकालिक निविदा सूचना –

नगर पालिका परिषद खुर्जा के पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद खुर्जा द्वारा राज्य वित्त/पालिका निधि के अन्तर्गत नगर के विभिन्न मार्गों पर कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की निविदा दिनांक 05.10.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 04:00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद खुर्जा में अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी महोदय के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी पालिका के अवर अभियन्ता (सिविल) से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ली जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.10.2018 को 02:00 बजे तक कार्यालय निर्माण विभाग में निविदा शुल्क जमा कर प्राप्त की जायेंगी। उक्त निविदाएं जनपद की वेबसाइट **www.bsr.nic.in/nppkhurja.in** पर देखी जा सकती है।

क्र0सं0	निर्माण कार्य का नाम	आगणन की धनराशि	जमानत राशि	निविदा शुल्क	18 प्रतिशत जी0एस0टी0	कार्य की अवधि
1	नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर बिटुमन द्वारा पैच मरम्मत कार्य।	344936.00	6899.00	345.00	62.00	8 दिन
2	पुरानी तहसील रोड से पुलिस कंट्रोल रूम तक रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	467061.00	9341.00	467.00	84.00	15 दिन
3	सुभाष रोड मुख्य मार्ग पर अबरार की दुकान के सामने रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य।	497411.00	9948.00	497.00	90.00	20 दिन

शर्तें–:

14. सशर्त निविदाएं मान्य नही होंगी और स्वतः ही निरस्त समझी जाएंगी।
15. नगर पालिका परिषद खुर्जा को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में सुरक्षित होगा। निविदा शुल्क धनराशि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खुर्जा के पदनाम से एफ0डी0आर0/डी0डी0 जमा करनी होगी।
16. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
17. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेख/शर्तें पालिका कार्यालय के सिविल अनुभाग में किसी भी कार्यदिवस में/कार्य समय में देखी जा सकती है।
18. निर्माण कार्यों की निविदा में वर्णित सामग्री आदि पर व्यापारकर/जी0एस0टी0 कर व अन्य करों की कटौती ठेकेदार के बिल से नियमानुसार की जाएगी।
19. प्रत्येक निविदादाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित निर्माण कार्य के स्थल का ठेकेदार भलीभांती निरीक्षण अवश्य कर लें।
20. केवल इस निकाय के पंजीकृत ठेकेदार ही निविदाओं में प्रतिभाग कर सकेंगे।
21. शासनादेश संख्या 0145/नौ–9–2013 दिनांक 10.12.2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों के पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराए जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्यादेश प्राप्ती पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा करना होगा।
22. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकार खुर्जा होगा।
23. कार्य की मरम्मत की अवधि कार्य समाप्त होने से 1 वर्ष तक रहेगी तथा 1 वर्ष बाद कार्य संतोषजनक होने के पश्चात ही कार्य के साथ लगायी गयी जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
24. निविदा के साथ फर्म/ठेकेदार को 100/–रू0 की नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र इस आशय का देना होगा कि कार्य में लगायी जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता/मानक शत प्रतिशत सुनिश्चित की गयी है।
25. निविदा दाता को निविदा के साथ हैसियत,चरित्र प्रमाण पत्र,जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होग।

26. निविदा प्रकाशन की निर्धारित समयावधि में यदि किसी ठेकेदार/व्यक्ति/संस्था/फर्म/निर्माता कम्पनी द्वारा निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग नही किया जाता है तथा बाद में प्राप्त दरों को लेकर किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत की जाती है तो वह किसी भी दशा में मान्य नही होगी।

(ऐ0के0 सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
खुर्जा।

(परवीन फड्डा)
नगर पालिका परिषद
खुर्जा।

पृष्ठॉकन सं0: 131(111)/सा0प्र0/2018–19 तद् दिनॉक

01:– प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी(स्था0नि0) बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

02:– प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी महोदय खुर्जा की सेवा में सादर सूचनार्थ।

03:– प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञापन अधिकारी बुलन्दशहर को उक्त सूचना की एक हार्ड कॉपी व डाटा सी0डी0 संलग्न कर इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना को जनपद की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

04:– प्रतिलिपि स्थानीय प्रतिनिधि "पंजाब केसरी" समाचार पत्र को इस आश्य से उक्त सूचना अपने आगामी अंक में प्रकाशित कराकर सूचना की ..... प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलव्ध कराने का कष्ट करें।

05:– प्रतिलिपि स्थानीय प्रतिनिधि "दैनिक जागरण" समाचार पत्र को इस आश्य से उक्त सूचना अपने आगामी अंक में प्रकाशित कराकर सूचना की .... प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलव्ध कराने का कष्ट करें।

06:– कार्यालय नगर पालिका परिषद खुर्जा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
खुर्जा।